तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म ... में जारी ...
25-6-19	पत्रावली आज पेश हुई। बहस सुनने काफी समय होने के कारण आदेश नहीं लिखा गया अत: पुन: मजिज बहस सुनी जावे। पत्रावली आईन्दा वास्ते मजिज बहस हेतु दिनांक 1/7/19 को पेश हो। (sd)	
1/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। मजिज बहस सुनी गई। वादी का दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी को अस्थाई स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखवाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (sd) 1/7/19	

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

दावा संख्या 21/2012

1. श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ जरिये सचिव विद्यालय प्रबंध हीरानंद पिता अमरनाथ जी शाह निवासी गुरूकुल चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ राज.

........वादी

बनाम

1. श्री लालाराम पिता काशीराम जी खारोल निवासी चेनपुरिया तहसील बेगूँ
2. श्री रतनलाल पिता उगमा खारोल निवासी चेनपुरिया तहसील बेगूँ

........प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 02/07/2019

उपस्थित :– श्री विष्णू कुमार चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र वादी का अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो सक्षिप्त में इस प्रकार हैं– वादी श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ के खातेदारी एवं कब्जे काश्त कि कृषि भूमि गांव रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बेगूँ में स्थित है, जिसके आराजी नंम्बर 1 लगायत 26 कुल किता– 26 होकर श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ़ के खातेदारी में दर्ज है एवं अन्य आराजीयात भी वादी श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ़ सस्था होकर उक्त भूमि संस्था को दान में प्राप्त हुई, जिस पर संस्था द्वारा कृषि कार्य गौशाला का कार्य किया जाता हैं। सचिव विद्यालय प्रबंध समिति श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ को उक्त भूमि के संबंध में कार्यवाही करने हेतु अधिकृत कर रखा हैं। वादी कि भूमि राजस्व नक्शा ट्रेस से सभी आराजीयत मिले हुये होकर एक चक के रूप में हैं, भूमि के तारो तरफ वादी द्वारा भूमि की सुरक्षा एवं फसल को मवेशी नुकशान नही पहुचावे, इसमें कोई प्रवेश नही करे इसके लिए पुर्व में काटेंदार तार कि बाड थी, जिसे अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण ने तोड दिया। प्रतिवादीगण गांव चेनपुरिया के निवासी है, इनकी कृषि भूमि गाव जोधपुरिया में स्थित है। जोधपुरिया से प्रतिवादीगण कि जमीन पर आने जाने का रास्ता मोके पर एवं राजस्व रेकार्ड में बना हुआ है, उसी का प्रतिवादीगण उपयोग–उपभोग करते हैं, प्रतिवादीगण को वादी कि जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का कोई अधिकार नही हैं। चैनपुरिया से जोधपुरिया आने जाने हेतु गिट्टी रोड बनी हुई है, गांव के सभी लोग इसी रोड से आते जाते हैं। प्रतिवादीगण कि जमीन वादीगण कि जमीन के पश्चिम दिशा में स्थित होकर लगी हुई है, मध्य में वादी द्वारा कांटेदार तार कि बाड लगा रखी हैं। प्रतिवादीगण रास्ते का उपयोग न कर अनाधिकृत रूप से अपने मवेशी को वादीगण कि भूमि में धास एवं फसल को चराकर नुकसान पहुचाते हैं। वादी कि फसल को नुकसान पहुचाने कि नियत से अधिकृत रास्ते का उपयोग न कर वादी कि जमीन में जबरदस्ती अपने गांव चैनपुरिया जाने हेतु प्रवेश करना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार नही हैं। इस कारण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया हैं। वाद कारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 12.01.2012 को मोके पर मवेशियो को खेत में प्रवेश करा फसल को नुकसान पहुचाने एवं वादी द्वारा मना करने पर झगड़ा करने पर आमादा होने से वाद कारण पैदा होकर निरन्तर हो रहा हैं। वाद वर्णित आराजियात न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से वादपत्र न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत हैं। वाद मुल्यांकन 2,00,000/–रूपये माना जावें। वादी न्यायालय श्रीमान् से निम्न अनुतोष कि प्रार्थना करते है–

कि वादी कि खातेदारी कृषि भूमि गांव रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बेगूँ कि आराजी संख्या 1 लगायत 26 कुल किता– 26 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न तो स्वयं करे न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, नौकर, ऐजेण्ट आदि से करावे। इस हेतु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेद्याज्ञा कि डिकी प्रदान की जावे।

कि वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीण से दिलाया जावें।

कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावे।

Scanned by CamScanner

वादपत्र प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब एवं अपना पक्ष रखने के लिए सम्मन जारी किये गये। सभी प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। प्रतिवादीगण कि ओर से अधिकार पत्र मय जवाबवाद विद्वान अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत द्वारा प्रस्तुत किया गया। उन्होनें अपने जवाब में बताया कि उक्त वाद में वर्णित आराजी ग्राम रायपुरिया में स्थित है स्वीकार है जिस पर वादी संस्था द्वारा कृषि कार्य करवाया जाता है लेकिन गौशाला का कार्य नही किया जाता हैं। वादी की भूमि पर कांटेंदार तार की बाड़ कभी नही थी इसलिए अनाधिकृत रूप से प्रतिवादीगण द्वारा तोड़ने का कथन सर्वथा मन गढंत हैं। प्रतिवादीगण की जमीन जोधपुरिया में नही होने से एवं वादी की आराजीयात के आस–पास भी प्रतिवादीगण की जमीन नही होने से वादी को किसी प्रकार का नुकसान नही पहुचा सकता इसलिए प्रविादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नही होगा। वादी गुरूकुल सस्था की कृषि आराजीयात में से ग्राम चेनपुरिया, जोधपुरिया, रायपुरिया, तोरनिया आदि गांवो के ग्रामवासियों के आने जाने का एक वर्ष पुराना रास्ता निकल रहा है तथा वादी की भूमि के पश्चिमि तरफ में स्थित कृषि आराजीयात के खातेदारों का एक मात्र रास्ता आने जाने का विद्यमान है जिसे वादी ने बंद कर दिया और इस वाद की आड़ में वादी खातेदारो की कृषि आराजीयात पर पहुचने के रास्ते को बन्द करना चाहता हैं, इसलिए एक कपोल कल्पित वाद प्रस्तुत किया है। वादी द्वारा अपनी भूमि के पश्चिमी तरफ के स्थित खातेदारों को पक्षकार नही बनाया ओर वादी गुरूकुल के स्वयं के खेतों के पातीदारों (सिजारी) को पक्षकार बनाकर दुर्मीसंधी के तहत वाद प्रस्तुत कर गलत तरीके से स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहता है, इसलिए आवश्यक पक्षकार के अभाव में वाद खारीज होने योग्य हैं। वादी न्यायालय श्रीमान् में स्वच्छ हाथों से नही आया है, वाद वादी सुखाचार के रास्ते को अवरूद्ध करने से सम्बन्धित होने से न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार का नही होने से वाद वादी का खारिज फरमाया जावे। तत्पश्चात तनकी–पत्र कायम किया गया जो निम्नानुसार है–

1. आया मोजा रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा कि आराजी संख्या 1 से लगायत 26 वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, नौकर, ऐजेण्ट आदि से करावे। इस हेतु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेद्याज्ञा से डिकी प्राप्त करने का अधिकारी हैं ? ....वादी
2. आया वादी गुरूकुल कि कृषि आराजीयात में से ग्राम चेनपुरिया, जोधपुरिया, रायपुरिया व तोरनिया आदि गांवो के ग्रामवासियों के आने जाने का एक वर्षो से पुराना रास्ता निकल रहा है तथा वादी कि भूमि के पश्चिमी तरफ में स्थित कृषि आराजीयात में खातेदारों का एक मात्र रास्ता आने जाने को वादी ने बंद कर दिया है इस वाद कि आड में वादी हम प्रतिवादीगण का कृषक का रास्ता बन्द करना चाहता है। वादी द्वारा पश्चिमी कि तरफ के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है और वादी गुरूकुल के स्वयं के खेतों के पातिदारों को पक्षकार बना दुरमी संधि के तहत यह वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है, यह वाद सुखाचार के रास्ते को अवरूद्ध करने से संबंधित होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही हैं ? ....प्रतिवादीगण

पत्रावली में तनकी कायम किये जाने के पश्चात वादी कि ओर से साक्ष्य हेतु मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र, हीरानन्द पिता अमरनाथ (वादी), यज्ञदेव वेदवागीश पिता महादेव, छीतरसिंह पिता मोडासिंह राजपूत व रामलाल पिता कालूजी खारोल के पेश किये गये। हीरानन्द पिता अमरनाथ द्वारा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये तथा अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह करते, बयान लेखबद्ध करते समय जिरह रिर्जव रखी गयी। वादी के गवाह जिरह हेतु समय–समय पर उपस्थित आए किन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा अवसर चाहा गया। दिनांक 04.04.2018 को गवाह हीरानन्द व छीतरसिंह उपस्थित आए, प्रतिवादी अधिवक्ता को तीन बार खुले न्यायालय में आवाजे लगाई किन्तु उपस्थित नही आए। प्रर्याप्त अवरार प्रदान किये जाने के बावजूद एवं सूचना के बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही आने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। उपस्थित गवाह हीरानन्द पिता अमरनाथ एवं छीतरसिंह पिता भंवरसिंह के बयान लेखबद्ध किये गये। वादी अधिवक्ता कि साक्ष्य पुर्ण होने पर पत्रावली एकतरफा बहस हेतु नियत की गयी। बहस में वादी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ जरिए सचिव विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा उक्त खातेदारी आराजी में प्रतिवादीगण दखलअंदाजी ना करे, ना हि अपने परिवार के किसी सदस्य, नौकर, ऐजेण्ट आदि से करावें तथा ना ही वादी द्वारा बनाई गई कांटेंदार बाढ़ को छेड़छाड़ करें। इस हेतु बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा कि डिकी प्रदान की जावें।

विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली के दस्तावेजों का अध्ययन कर विद्वान अधिवक्ता की बहस एवं तर्को पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र में कायम तनकीनुसार निम्नानुसार निर्णय किया गया।

Scanned by CamScanner

तनकी नम्बर–1 यह तनकी जिम्मेवादी के इस प्रकार है कि मोजा रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा कि आराजी संख्या 1 से लगायत 26 वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार कि दखलअंदाजी न तो स्वयं करें, न ही अपने किसी परिवार के सदस्य, नौकर, ऐजेण्ट आदि से करावे। इस हेतु वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा से डिकी प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

वादी का जैर बहस आराजीयात में हक हिस्सा सिद्ध होता है, जबकि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त में दस्तनरामी करते है जो विधि विरूद्ध है। स्वयं प्रतिवादीगण अपने जवाब दावे में कहते है कि वादी गुरूकुल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी गाँव रायपुरिया में स्थित हैं, स्वीकार है जिस पर वादी संस्था द्वारा कृषि कार्य करवाया जाता है लेकिन गौशाला का कार्य नही किया जाता हैं। इस प्रकार से स्वयं प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावें में यह स्वीकार किया गया हैं कि वर्णित आराजियात पर वादी का कब्जा काश्त हैं। वादी गुरूकुल की कृषि आराजीयात में से ग्राम चेनपुरिया, जोधपुरिया, रामपुरिया, तोरनिया आदि गाँवों के ग्रामवासियों के आने जाने का एक वर्ष पुराना रास्ता निकल रहा है तथा वादी की भूमि के पश्चिम तरफ में स्थित कृषि आराजीयात के खातेदारों का एक मात्र रास्ता आने जाने का विद्यमान हैं जिसे वादी ने बन्द कर दिया है और इस वाद की आड़ में वादी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर पहुँचने के रास्ते को बन्द करना चाहता है। परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में न तो दस्तावेज पेश किये गये और न ही जवाबदावे में पड़ोस व आराजी नम्बर का उल्लेख किया हैं।

शाश्वत व्यादेश देने की शर्ते :–

1. वादी विवादग्रस्त जोत का अभिधारी हैं।
2. वाद फाईल करने की तारीख को वादी उस भूमि में काश्त करता हैं।
3. प्रतिवादी द्वारा वादी की भूमि पर अतिक्रमण करने पर आमादा है/ अतिक्रमण करने का भय हैं।
4. स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादी पाने हेतु कब्जा होना आवश्यक है जो कब्जा नही रखता वह स्थाई व्यादेश का वाद फाइल नही कर सकता है।

चुकी उक्त आराजी वादी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त हैं एवं वादी अपनी भूमि की पशुओं व अन्य सुरक्षात्मक उपाय हेतु काटों की बाढ़ कर रखी हैं।

जैर बहस जमीन वादी की स्वयं की खातेदारी कब्जा काश्त है एवं वादी अपनी भूमि की पशुओं एवं अन्य सुरक्षात्मक उपाय हेतु काटों की बाढ कर रखी हैं। जिसकी सुरक्षा हेतु वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इस प्रकार उक्त तनकी का निर्णय वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध किया जाता हैं।

तनकी नम्बर–2 यह तनकी जिम्मेप्रतिवादी इस प्रकार है कि वादी गुरूकुल कि कृषि आराजीयात में से ग्राम चेनपुरिया, जोधपुरिया, रायपुरिया व तोरनिया आदि गांवो के ग्रामवासियों के आने जाने का एक वर्षो से पुराना रास्ता निकल रहा है तथा वादी कि भूमि के पश्चिमी तरफ में स्थित कृषि आराजीयात में खातेदारों का एक मात्र रास्ता आने जाने को वादी ने बंद कर दिया है इस वाद कि आड में वादी हम प्रतिवादीगण कृषक का रास्ता बन्द करना चाहता है। वादी द्वारा पश्चिमी कि तरफ के खातेदारों को पक्षकार नही बनाया है और वादी गुरूकुल के स्वयं के खेतों के पातिदारों को पक्षकार बना दुरभी संधि के तहत यह वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है, यह वाद सुखाचार के रास्ते को अवरूद्ध करने से संबंधित होने से न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही हैं।

चुकी प्रतिवादीगण द्वारा बताया गया रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हैं और ना ही वर्तमान में हैं उक्त भूमि पर वादी ने अपनी भूमि की पशुओं व अतिकमी से सुरक्षा हेतु काटें की बाढ़ कर रखी हैं। वादी की भूमि के पश्चिम तरफ में स्थित कृषि आराजीयात के खातेदारों का एक मात्र रास्ता आने जाने का विद्यमान हैं जिसे वादी ने बन्द कर दिया है और इस वाद की आड़ में वादी खातेदारी की कृषि आराजीयात पर पहुँचने के रास्ते को बन्द करना चाहता है, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इस सम्बन्ध में न तो दस्तावेज पेश किये गये और न ही जवाबदावे में पड़ोस व आराजी नम्बर का उल्लेख किया हैं। रास्ता हेतु प्रतिवादीगण अलग से अनुतोष प्राप्त करें। प्रतिवादीगण तनकी को अपने पक्ष में सिद्ध करने में असक्षम प्रतीत हुये हैं। इस प्रकार यह तनकी किसी भी तरह सिद्ध नही होती हैं।

अतः उपर्युक्त तनकीवार निर्णय के अनुसार वादी का वाद पुर्णतया सिद्ध होता है। वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण का स्वीकार किया जाता है। मोजा रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 1 से लगायत 26 तक में वादी के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी न तो स्वयं करे और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य, नौकर, ऐजण्ट आदि से करावें।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

2/7/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलक्टर, बेगूं

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलेक्टर, बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

दावा संख्या :– 21/2012

श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ़ जरिये सचिव विद्यालय प्रबन्ध समिति हीरानन्द पिता अमरनाथ जी शाह निवासी श्री गुरूकुल चित्तौड़गढ़ तहसील एवं जिला चित्तौड़गढ़ राज. ....वादी

बनाम

1 श्री लालाराम पिता काशीराम खारोल निवासी चैनपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2 श्री रतनलाल पिता उगमा खारोल निवासी चैनपुरिया तहसील बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.
......प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी की उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 188 आर0टी0 एक्ट का आज तारीख 02/07/2019 को सहायक कलेक्टर बेगूँ के समक्ष अंतिम डिक्री निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश निम्नानुसार दिये जाते हैं:–

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी संस्था के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात भूमि ग्राम रायपुरिया पटवार हल्का गोपालपुरा तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 1 से लगायत 26 में वादी के उपयोग–उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने किसी नौकर, एजेंट, रिश्तेदार आदि से करावें।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 02/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गयी।

2/7/19
(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,बेगूँ

Scanned by CamScanner